न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/टीए संख्या/7626/2006/सवाई माधोपुर

1- हनुमानप्रसाद पुत्र श्री निवास जाति ब्राह्मण निवासी भगवतगढ़ तहसील चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर।

-अपीलांट

-बनाम-

1- प्रकाश पुत्र बद्री जाति तेली निवासी आलदवाड़ा कलां हाल प्रकाश इलैक्ट्रीकल्स, टी.वी. सेन्टर, सदर बाजार स्टेट बैंक के नीचे, छबड़ा जिला बारां।
2- सरकार जरिये जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर
3- सरकार जरिये तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा (स.मा.)
4- कैलाश पुत्र रामकिशोर
5- मोहन पुत्र रामकिशोर
6- राजू पुत्र रामकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी भगवतगढ़ हाल आबाद इन्दौर राजा ट्रांसपोर्ट कैरियर, न्यू लोहा मण्डी इन्दौर।

-रेस्पोडेन्ट्स

खण्डपीठ

डॉ0 शिव प्रसाद सिंह, सदस्य

कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थितः-

1- श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अपीलांट
2- श्री श्याम बाबू पारीक, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 1
3- श्री ज्ञान सिंह रावत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 5 व 6

-निर्णय-

दिनांकः-18-02-2026

1- अपीलांट ने यह अपील राजस्व अपील प्राधिकरी, सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 09-10-2006 जिसके द्वारा अपीलांट की अपील स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, सवाई माधोपुर के समक्ष वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम खेतपुरा में खसरा नम्बर 5 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा भूमि के बाबत् वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अन्तर्गत घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का इस आशय का पेश किया गया कि वादग्रस्त आराजी वादीगण के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की भूमि है तथा राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से पीरया के नाम दर्ज किये जाने पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष वादपत्र पेश करते हुए आराजी जैर के बाबत् घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती की मांग की गई। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर तीन तनकीयात् कायम करते हुए निर्णय व डिक्री दिनांक 26-03-2002 के माध्यम से वादी के वादपत्र को खारिज किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध वादी/अपीलांट द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के समक्ष अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 09-10-2006 द्वारा अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को कतिपय निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3- अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर करते हुए रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4- विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया कि वादी/अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम खेतपुरा में खसरा नम्बर 5 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा भूमि के बाबत् सहायक कलेक्टर, सवाई माधोपुर के समक्ष वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती पेश करते हुए कथन किया कि उक्त वादग्रस्त भूमि वादी के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की भूमि रही है। विवादित आराजी नाथूलाल के नाम दर्ज रही है। आपसी बंटवारे में उक्त वादग्रस्त आराजी वादी के हिस्से में आई। उक्त वादग्रस्त आराजी को वादी द्वारा गोपाल पुत्र मोती मीणा को दिनांक 22-07-1988 को रहन रखने के उपरान्त दिनांक 18-07-1995 को रहन से मुक्त कराया गया। वादग्रस्त आराजी को राजस्व रिकार्ड संवत् 2016-2020 में गलत रूप से पीरया पुत्र कल्याण के नाम दर्ज कर दिये जाने पर वादी द्वारा वादपत्र पेश करते हुए खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती की मांग की गई। अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने तीन तनकीयात कायम करते हुए उपरोक्त तथ्यों के विपरीत जाकर मात्र

सरसरी तौर पर वादी के वादपत्र को खारिज किया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया कि पीरया व प्रकाश एक ही व्यक्ति है। उक्त प्रकाश का नाम मतदाता सूची में ओमप्रकाश पुत्र बद्री है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा आगे कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजी संवत् 2013 से दर्ज का इन्द्राज परिवर्तन जमाबंदी संवत् 2017-2020 में बिना नामान्तरकरण के पीरया के नाम दर्ज किया गया जबकि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट व अपीलांट के पूर्वज कदीमी काश्तकार चले आ रहे हैं। जमाबंदी संवत् 2010-2020 में कॉलम नम्बर 5 में गंगाराम व नाथूलाल का नाम उपकृषक दर्ज रहा है। पीरया उर्फ प्रकाश का नाम कहीं भी उपकृषक दर्ज नहीं रहा है। इन समस्त तथ्यों के विपरीत जाकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को डिक्री किये जाने के स्थान पर खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि पीरया उर्फ प्रकाश दोनों एक ही व्यक्ति है या भिन्न-भिन्न इस तथ्य की जांच करते हुए उसे वादपत्र में पक्षकार स्थापित किया जाकर तनकी कायम की जाये तथा उसके उपरान्त वादपत्र पर पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। अपीलीय न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया कि पीरया उर्फ प्रकाश दोनों एक ही व्यक्ति है। अपीलीय न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय दिनांक 09-10-2006 के माध्यम से प्रकरण को अनावश्यक रूप से प्रतिप्रेषित किया गया जबकि अपीलीय न्यायालय से यह अपेक्षित था कि प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निर्णय पारित करने में तथ्यों की अनदेखी के साथ-साथ विधि एवं कानून संबंधी त्रुटि कारित की है, जिसकी विधि अनुमति प्रदान नहीं करती है। लिहाजा अपीलांट की द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर वादी/अपीलांट के वादपत्र को डिक्री करते हुए खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जावे।

5- विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् वादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किया गया। वादग्रस्त आराजी जैर के प्रतिवादी संख्या 1/रेस्पोडेन्ट की पैतृक भूमि रही है तथा रेस्पोडेन्ट के पिता के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी दर्ज रिकार्ड भूमि रही है। अपीलांट का विवादित आराजी पर कभी कब्जाकाश्त नहीं रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादग्रस्त आराजी जैर के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। अपीलांट का उक्त वादग्रस्त आराजी से कोई सरोकार नहीं है। वादी/अपीलांट द्वारा अपने कब्जेकाश्त एवं खातेदारी अधिकारो से संबंधित ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट

हो कि अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार निहित हो। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों की जांच करते हुए ही अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को अस्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकाश एवं पीरया एक ही व्यक्ति है या अलग-अलग, इस बिन्दु के परीक्षण एवं खसरा गिरदावरी संवत् 2009-2012 में पीरया का अंकन किस आधार पर हुआ है, उक्त तथ्य के परीक्षण हेतु प्रकरण को पुनः अधीनस्थ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है, जबकि यह स्थिति स्पष्ट है कि प्रकाश एवं पीरया एक ही व्यक्ति है तथा खसरा गिरदावरी जिसको प्रकरण के रिमाण्ड का आधार माना गया है, उक्त दस्तावेज रिकार्ड ऑफ राईट्स की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना किसी एवं युक्तियुक्त आधार के प्रकरण को पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है, जिसकी विधि अनुमति प्रदान नहीं करती है। लिहाजा अपीलांट की हस्तगत् द्वितीय अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को यथावत् बहाल रखा जावे।

6- विद्वान अभिभाषकगण उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अपील के साथ-साथ अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों एवं अभिलेख का गहनता के साथ अध्ययन किया गया।

7- हस्तगत् प्रकरण में वादी/अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम खेतपुरा में खसरा नम्बर 5 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा भूमि के बाबत् सहायक कलेक्टर, सवाई माधोपुर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादपत्र घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती इस आधार पर पेश किया गया कि वादग्रस्त आराजी वादी/अपीलांट के पूर्वजों के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की भूमि है तथा राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से पीरया के नाम दर्ज कर दिये जाने पर उक्त वादग्रस्त भूमि के बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा की मांग किये जाने पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के वादपत्र के कथनों को इंकार किये जाने पर वादपत्र, जवाबदावे व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर तीन विवाद्यक विरचित करते हुए उनका विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए निर्णय व डिक्री दिनांक 26-03-2002 के माध्यम से वादी/अपीलांट के पूर्वजों का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने के समय कब्जा नहीं माना गया व पीरया पुत्र कल्याण का नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज रिकार्ड होने के कारण रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध

निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती, के आधार वादपत्र को खारिज किया गया।

अधीनस्थ विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर वादी/अपीलांट द्वारा अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के समक्ष अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय दिनांक 09-10-2006 को अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि प्रतिवादी संख्या 1 प्रकाश व पीरया दोनों एक ही व्यक्ति है या भिन्न-भिन्न हैं, और यदि पीरया जीवित है तो उसे वादपत्र में पक्षकार स्थापित करते हुए, तनकी कायम की जाकर उक्त तनकी का विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए पुनः निर्णय पारित किया जावे। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत् द्वितीय अपील मण्डल में पेश की गई।

8- इस संबंध में सर्वप्रथम वादपत्र का अवलोकन किया। वादी/अपीलांट हनुमान प्रसाद द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकाश पुत्र बद्री जाति खाती निवासी प्रकाश इलेक्ट्रोनिक टीबी सेन्टर सरदार बजार स्टेट बैंक के नीचे, छबड़ा जिला बारां को बतौर प्रतिवादी स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 को भी पक्षकार स्थापित करते हुए मुख्य रूप से प्रतिवादी संख्या 1 प्रकाश के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार प्रतिवादीगण को तलब किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा पेश किया गया। उक्त जवाबदावे में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम पीरया पुत्र कल्याण जाति खाती निवासी आदलवाड़ा कलां तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर अभिलिखित है। जबकि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा वादपत्र तो प्रकाश पुत्र बद्री प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है एवं जवाबदावा बतौर प्रतिवादी संख्या 1 पीरया पुत्र कल्याण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसी क्रम में डीडब्ल्यू 1 पीरया वल्द कल्याण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन किया, जिसमें पीरया द्वारा यह बयान किया गया कि ''मैं जन्म से आदलवाड़ा कलां में रहता हूँ। मेरे पिता का नाम कल्याण खाती है।'' उपरोक्त बयानात् से यह जाहिर है कि प्रकाश पुत्र बद्री एवं पीरया पुत्र कल्याण होने से दोनों ही पक्षकारों की वल्दियत भी समान नहीं है। ऐसी स्थिति में यह विचारणीय प्रश्न है कि क्या प्रतिवादी संख्या प्रकाश पुत्र बद्री एवं पीरया पुत्र कल्याण एक ही व्यक्ति है अथवा भिन्न-भिन्न व्यक्ति है। यदि पीरया द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है तो वह किस हैसियत से प्रस्तुत किया गया है और पीरया पुत्र कल्याण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे को रिकार्ड पर लिया गया है तो पीरया

पुत्र कल्याण के जीवित रहने की स्थिति में उसे नियमित वाद में पक्षकार क्यों नहीं स्थापित किया गया? उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर नियमित साक्ष्य लिये जाकर परीक्षण आवश्यक था, जिसके अभाव में अधीनस्थ विचारण न्यायालय के निर्णय में स्पष्ट रूप से कमी पायी जाती है।

इसी अनुरूप अन्य विचारणीय प्रश्न यह भी है कि वादपत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड यथा नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2009-2012 जो आगामी रूप से संवत् 2033 तक रिकार्डित है, उक्त खसरा गिरदावरी में बतौर कृषक नाथू वल्द माधोलाल का नाम बतौर कृषक दर्ज रिकार्ड रहा है। परन्तु कालान्तर में रजिस्टर माफी के तहत खातेदार पीरया पुत्र कल्याण खाती साकिन आदलवाड़ा के नाम खातेदारी की जावे, उक्त अंकन दिनांक 20-04-1964 का रहा है। राजस्व रिकार्ड में नाथू वल्द माधो का नाम किस आधार पर कलमजन किया गया है व पीरया का नाम किस आदेश के माध्यम से दर्ज किया गया है, विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में उपरोक्त तथ्य का विवेचन नियमानुसर तनकीयात कायम करते हुए नहीं किये जाने की स्थिति को दृष्टिगत् रखते हुए ही प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विधि सम्मत तरीके से उपरोक्त बिन्दुओं पर साक्ष्य लिये जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं होने से अपीलांट की हस्तगत् द्वितीय अपील अस्वीकार कर खारिज योग्य पाई जाती है।

अतः आदेश है कि अपीलांट की द्वितीय अपील खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकरी, सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 09-10-2006 यथावत् बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(डॉ0 शिव प्रसाद सिंह)
सदस्य